पंजीकृत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

UTTARAKHAND

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– 562 / 18Mg दिनांकः– 03/03/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत दरमोली–पिठोली सम्पर्क मोटर मार्ग हेतु 1.19 हेक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में। (FP/UK/ROAD /8258/2014)।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उ0के0क्षे0) 25 सुभाष रोड देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/91/2018/एफ0सी0/2637 दिनांक 19.02.2020 आन लाईन प्राप्त दिनांक 27.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराया जाना है कि भारत सरकार के पूर्व पत्र दिनांक 11.10.2019 पर बिन्दुवार आख्या तैयार कर इस कार्यालय के पत्रांक 2401/18एम0जी0 दिनांक 31.10.2019 द्वारा आन लाईन पोर्टल पर अपलोड करते हुए हार्ड प्रतियां प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल, भारत सरकार कैम्प कार्यालय देहरादून, अपर प्रमुख सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून एवं आपके कार्यालय को प्रेषित की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु बिन्दुवार आख्या की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **भारत सरकार के पूर्व पत्र दिनांक 11.10.2019 में लगायी गयी आपत्ति संख्या–3 एवं 4** में स्पष्ट किया जाना है कि के0एम0एल0 फाईल ओपन करने पर नॉर्थ ऊपर के डारेक्शन में प्रस्तावित मार्ग का समरेखण पूर्व निर्मित मार्ग के समानान्तर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, जबकि वास्तव में मार्ग का समरेखण पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के समानान्तर न होकर पहाड़ी की तरफ है। के0एम0एल0 फाईल को ओपन कर नॉर्थ का डारेक्शन राईट साईड के नीचे की ओर कर ही वास्तविकता का पता लगाया जा सकता है कि लाभान्वित ग्राम दरमोली एवं पिठोली की अधिकांश आबादी पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से ऊपर की ओर 500 मीटर से 1.00 किमी0 दूरी में हैं जिससे स्थानीय ग्रामीणों को मुख्य मोटर मार्ग तक पहुंचने में 500 से 1.00 किमी0 तक की दूरी तय करनी पड़ती है। जिस हेतु जनहित में इस मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।

अतः उपरोक्तानुसार लाभान्वित ग्रामों का विवरण के0एम0एल0 फाईल में अंकित करते हुए सी0डी0 में के0एम0एल0 फाईल एवं स्थल का लाइन डायग्राम तैयार कर पत्र के साथ संलग्न करते हुए आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नः– 1–उपरोक्तानुसार वर्णित पत्र की छाया प्रति।
2– सी0डी0 मय लाइन डायग्राम सहित।

भवदीय
03/03/2020
(इं. धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल।

पत्रांकः– दिनांकः–

प्रतिलिपि तकनीकी अधिकारी,भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून को संदर्भित पत्र के कम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़ देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,नैनीताल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

UTTARAKHAND

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– 2401 /18 Mg   दिनांकः– 31/10/19

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषयः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत दरमोली–पिठौली सम्पर्क मोटर मार्ग हेतु 1.19 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में। (लम्बाई 2.000 किमी0) (FP/UK/ROAD/8248/2014)

संदर्भः– भारत सरकार के पत्रांक 08बी/यू0पी0सी0/06/91/2018/एफ0सी0/1575 दिनांक 11.10.2019 एवं आपके आन लाईन EDS दिनांक 14.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में बिन्दुवार आख्या तैयार कर आन लाईन प्रेषित करते हुए हार्ड प्रतियों में निम्नवत आपको प्रेषित की जा रही है।

क्रसं0	बिन्दु	उत्तरालेख
1	In reply to point no. 01, State Government submitted that the copy of Part II,III and IV is enclosed but the same not found with the letter. State Government may submit the original copy of Part II,III and IV of the Proposal.	महोदय पार्ट– II,III एवं IV के समस्त प्रपत्रों हार्ड प्रतियां संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2	In reply to point no. 02, details of 217 trees still not corrected at para-4, Part-II, State Government may ensure that the correct detail of the trees is provided at part 4, Part-II online.	महोदय आन लाईन पार्ट– II का प्रपत्र संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया पार्ट–2 के पैरा 4 (ii) में अंकित (0-30cm) वाले व्यास में 4 वृक्षों का भी विवरण अंकित करने का कष्ट करें, ताकि वृक्षों का विवरण 217 हो सके।
3	In reply to point no.03 & 04 justification of the requirement of the road seems not satisfactory as the village is already on the road. State Government may submit clarification in this regard.	इस क्रम में स्पष्ट करना है कि ग्राम दरमोली एवं पिठौली की अधिकतर आबादी निर्मित मुख्य मार्ग के हिल साईड सीधे करीब 1.00 किमी0 से 0.500 किमी0 तक ऊंचाई में बसे हैं, जिन्हें आने–जाने हेतु सीधी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। जिससे ग्राम के बूढ़े, बिमार एवं छोटे–छोटे बच्चों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ग्रामवासियों द्वारा अपने स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय बैठकों में मोटर मार्ग निर्माण हेतु मांग तथा अनुरोध किया जा रहा है। महोदय उक्त कठिनाईयों एवं समस्याओं के कारण इस मोटर मार्ग का निर्माण कार्य जनहित में किया जाना अति आवश्यक है।

4	ग्राम पूर्व से ही मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है अतः 7 मी0 चौड़े एक अन्य मार्ग के निर्माण का कोई औचित्य नहीं है। राज्य शासन वन क्षेत्र में उपलब्ध वन मार्ग की जानकारी प्रस्तुत करें, तथा आवश्यकतानुसार वन मार्ग को उपलब्ध चौड़ाई में पक्का किया जा सकता है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	महोदय आपको स्पष्ट अवगत कराया जाना है कि ग्राम दरमोली एवं पिठौली की अधिकांश आबादी मुख्य मोटर मार्ग से हिल साईड से लगभग सीधे 0.500 किमी0 से 1.00 किमी0 में खड़ी चढ़ाई में बसी हुई है। इसलिए उन्हें मुख्य मार्ग तक सीधे पहुंचने में खड़ी चढ़ाई एवं लगभग कास में 3 से 4 किमी0 पैदल दूरी तय कर पहुंच पाते हैं। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराया जाना है कि इस मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वन मार्ग नहीं है, जिसे मोटर मार्ग में परिवर्तित कर चौड़ा या पक्का किया जा सके। महोदय आपसे अनुरोध है कि उक्त ग्राम वासियों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए उक्त मोटर मार्ग को जनहित में स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

31/10/19

(इं. धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–लो0नि0विभाग,
नैनीताल।

पत्रांकः–2401 /18Mg दिनांकः–31/10/19

प्रतिलिपि तकनीकी अधिकारी (वानिकी), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून को उनके उक्त संदर्भित पत्र के कम में उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को उक्त संदर्भित पत्र के कम में उपरोक्तानुसार संलग्न सहित सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

31/10/19

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–लो0नि0विभाग,
नैनीताल।

DARMOLI PITHOLI MR RIGHT DIRECTION

Write a description for your map.

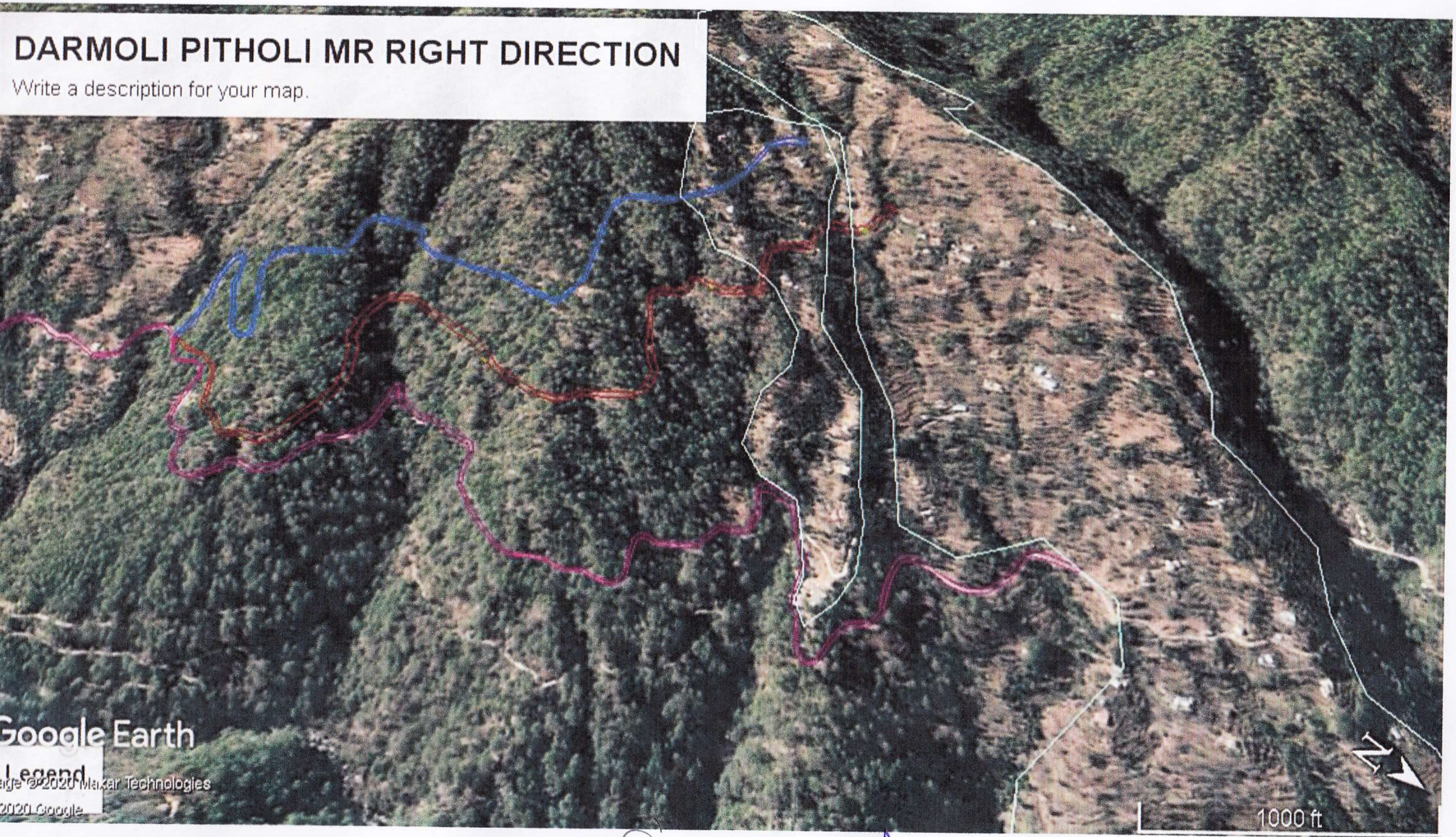

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०